

अत्यावश्यक

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

एच० आर० श्रीनिवास,
सचिव(संसाधन)

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 26/02/2015

विषय - वित्तीय वर्ष 2014-15 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक-28.02.2015 तक भेजने के संबंध में ।
महोदय,

आगामी विधान मंडल के सत्र में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित किया जाना है जिसके लिए प्रशासी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। निदेशानुसार तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में शामिल करने हेतु निम्नांकित मामलों से संबंधित प्रस्ताव दिनांक 28.02.2015 के अपराहन 05.00 बजे तक निश्चित रूप से वित्त विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ।

1. केन्द्रीय प्रायोजित योजना से संबंधित वैसे विषय :-

(क) जिसमें बजट उपबंध अपर्याप्त हो एवं तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंध नहीं कराये जाने की स्थिति में, केन्द्र सरकार से इस संबंध में निर्गत राशि का उपयोग नहीं होने की संभावना हो, अथवा


(ख) वैसे विषय जिसमें तृतीय अनुपूरक से बजट उपबंध नहीं कराये जाने की स्थिति में केन्द्र सरकार से स्वीकृत एवं सुनिश्चित रूप से प्राप्त होने वाली राशि की प्राप्ति नहीं होने की संभावना हो।

2. वेतनादि से संबंधित वैसे मामले जिसमें पुनर्विनियोग से राशि का उपबंध कराना संभव न हो, के संबंध में प्रस्ताव ।

3. अन्य वैसे अत्यंत बाध्यकारी विषय जिसमें राशि की उपबंध कराने हेतु स्वयं विभागाध्यक्ष संतुष्ट हों, के संबंध में प्रस्ताव ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में यदि कोई प्रस्ताव हो तो उक्त निर्धारित तिथि तक वित्त विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इसके लिए वित्त विभाग (बजट शाखा) दिनांक-28.02.2015 को सामान्य दिनों की तरह खुला रहेगा ।

विश्वासभाजन


(एच० आर० श्रीनिवास)
सचिव(संसाधन)